न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.57/2022
पंजीयन दिनांक 25.04.2022

(1). हीरालाल पिता माधु जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). दिनेश पिता प्रभुलाल जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). मुकेश पिता प्रभूलाल जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलांटगण

बनाम

(1). राजूलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). लादूलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). रतनी पिता लेहरू जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). सुशीला पिता लेहरू जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(5). डाली पत्नी लेहरू जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(6). चम्पालाल पिता खुमा जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(7). शंकरी पिता खुमा जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(8). एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा चित्तौड़गढ़ जरिये शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा चित्तौड़गढ़।
(9). भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(10). जेती पत्नी धन्ना जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(11). नन्दा पिता माधु जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(12). रूकमणी पिता माधु जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(13). लेहरू पिता माधु जाति जाट निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 296/2019 निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.03.2020

उपस्थित वक्त बहस-(1). रमेशचन्द शर्मा -अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). खूमराज कुमावत-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7
(3). किशनलाल कुमावत- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 13
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 22.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 7 ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की मौजा बडौदिया तहसील चित्तौड़गढ की खाता संख्या 196 जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 505 स्थित है जिसका रकबा 0.62 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित कृषि आराजी पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 7 अपने पूर्वजों के समय से हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने-ले जाने हेतु एकमात्र रास्ता विपक्षीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण की खातेदारी की खाता संख्या 156 मे दर्ज आराजी संख्या 503 की दक्षिणि मेर पर पश्चिम मे स्थित आम रास्ता रेकॉर्डड से पूर्व की ओर होते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की आराजी संख्या 505 रकबा 0.62 हैक्टेयर पर आते-जाते है। उक्त रास्ते की आराजी संख्या 503 रकबा 0.19 हैक्टेयर की दक्षिणी मेर से रेकॉर्डड रास्ते से पूरब की ओर जाते है। इसके अलावा ओर कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने-जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने-जाने हेतु एकमात्र व आत्यान्तिक आवश्यकता का रास्ता है जिसे विपक्षीगण अपीलान्टगण द्वारा बन्द किया जाकर प्रार्थीगण को आने-जाने से मना कर दिया है इसलिये उक्त विद्यमान रास्ते को 5 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी पर जाने हेतु रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाकर नक्शे मे तरमीम किये जाने का निवेदन किया जिस हेतु प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण नियमानुसार राशी जमा कराने को तैयार है या विपक्षीगण अपीलान्टगण को जमीन के बदले जमीन देने के लिये भी तैयार है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की । विपक्षीगण अपीलान्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों से इंकार करते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना-पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 17.02.2020 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

र्थीगण रेस्पोडेन्टगण एवं विपक्षी संख्या 1 की ओर से राजीनामा बाबत संयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाकर नवीन मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से नवीन मोका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा सिरोही तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 505 मे प्रार्थीगण के आने-जाने हेतु आराजी संख्या 506 मे से रास्ता चाहा गया, प्रकरण मे निर्देशानुसार जांच भू0 अभिलेख निरीक्षक पाण्डोली से कराई गई। पर्चा मौका अनुसार उभयपक्ष द्वारा दिनांक 17.02.2020 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आपसी राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण को आने-जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 506 मे से रास्ता देना चाहते है लेकिन मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण द्वारा आराजी संख्या 506 मे से रास्ता नहीं दिया जाना जाहिर कर अब आराजी संख्या 503 रकबा 0.19 हैक्टेयर मे से रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है जिससे रास्ते का रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि जिसके खातेदारान हीरालाल पिता माधु, दिनेश, मुकेश पिता प्रभूलाल जाट निवासी सिरोडी जो कि अपनी आराजी संख्या 503 रकबा 0.19 हैक्टेयर मे से रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है। जिससे रास्ते का रकबा लम्बाई 82 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर कुल 328 वर्गमीटर बनता है। इस भूमि के बदले आराजी संख्या 504 रकबा 0.70 हैक्टेयर मे से उत्तर दिशा की मेड पर क्षतिपूर्ति हेतु लम्बाई 230 मीटर एवं चौड़ाई 1.43 मीटर कुल 328 वर्गमीटर भूमि खातेदार नंदा, लेहरू, रूकमणी पिता माधु एवं जेती बेवा धन्ना जाट निवासी सिरोडी द्वारा रास्ता दिये जाने हेतु सहमति जाहिर की तथा आराजी संख्या 504 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए आराजी संख्या 505 के खातेदार राजुलाल , लादुलाल पिता लेहरू रतनी, सुशीला पिता लेहरू, डालीबाई पत्नी लेहरू , चम्पा पिता खुमा, शंकरी पिता खुमा जाट निवासी सिरोडी द्वारा आराजी संख्या 505 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि मे से उत्तरी मेड पर लम्बाई 238 मीटर एवं चौड़ाई 1.38 मीटर कुल 328 वर्गमीटर भूमि नंदा , लेहरू, रूकमणी पिता माधु एवं जेती बेवा धन्ना जाट निवासी सिरोडी को बतौर क्षतिपूर्ति दिये जाने की सहमति जाहिर की तथा उपरोक्तानुसार भूमि के बदले भूमि आदान-प्रदान करने हेतु सहमति जाहिर की। रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ मय पर्चा मौका एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस शामिल पत्रावली है। दिनांक 02.03.2020 को विपक्षीगण संख्या 2 से 4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। तत्पश्चात बहस सुनी जाकर उभयपक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त उक्त नवीन मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना एवं पक्षकारान मे आपसी राजीनामा के अनुसार रास्ता दिये जाने की सहमति व्यक्त किया जाना बताकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेशित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...या गया कि मौजा सिरोडी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 503 रकबा 0.19 हैक्टेयर मे से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 0.0328 हैक्टेयर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रेकॉर्ड की जावे व आराजी संख्या 505 रकबा 0.62 हैक्टेयर मे से प्रस्तावित नक्शें अनुसार 0.0328 हैक्टेयर भूमि जेती बेवा धन्ना हिस्सा 1/2, नंदा, लेहरू, रूकमणी पिता माधु हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन देह एवं मौजा सिरोडी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 504 रकबा 0.70 हैक्टेयर मे से प्रस्तावित नक्शे अनुसार 0.0328 हैक्टेयर भूमि हीरालाल पिता माधु व दिनेश, राकेश पिता प्रभूलाल जाट साकिन देह के नाम दर्ज रेकॉर्ड किये जाने का निर्णय पारित किया जाकर नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर नक्शे अनुसार नक्शे मे आवश्यक तरमीम किये जाने का निर्णय पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की । विपक्षीगण अपीलान्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों से इंकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

[illegible] हुए प्राथीगण का प्रार्थना-पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट विपक्षीगण संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होना बताया है। दिनांक 25.02.2020 को तैयार पर्चा मोका रिपोर्ट मे अपीलांट विपक्षीगण संख्या 1 व अन्य के उपस्थिति के रूप मे हस्ताक्षर लिये गये जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सहमति के रूप मे हस्ताक्षर होना बताकर अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की आराजीयात मे से रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही दिनांक 25.02.2020 को तैयार उक्त मौका रिपोर्ट मे राजूलाल व हीरालाल के अलावा अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांट्गण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के अन्य पक्षकारान की ओर से कोई लिखित सहमति व राजीनामा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे मात्र उक्त नवीन कमिश्नर रिपोर्ट पर उपस्थिति बाबत किये गये हस्ताक्षर को सहमति के रूप मे हस्ताक्षर होना मानकर निर्णय पारित किया है जो विधिपूर्वक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण की आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने को मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की। विपक्षीगण अपीलान्ट्गण की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों से इंकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 17.02.2020 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण एवं विपक्षी सख्या 1 अपीलान्ट की ओर से राजीनामा बाबत संयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाकर नवीन मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से नवीन मोका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त नवीन मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के सहमति के रूप मे हस्ताक्षर है। साथ ही उक्त नवीन मौका रिपोर्ट मे रास्ते के उपयोग मे आई कृषि भूमि की एवज मे कृषि भूमि दिये जाने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कारान का सहमत होना अंकित है। जिसके आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2019 पार्ट-2 पेज 1210 प्रस्तुत किया गया। अन्त मे अपील अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होना बताकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने विपक्षी सं. 1 से 7 प्रार्थीगण की ओर से रास्ते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षो की सहमति के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने आराजी नम्बर 504 रकबा 0.70 हैक्टेयर मे से 0.0328 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आराजीयात के बदले आराजी नम्बर 505 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि मे से खातेदारान को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया जिस आराजीयात के सम्बन्ध मे रास्ते के सम्बन्ध मे दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे सहखातेदार जेती बेवा धन्ना व रूकमणी पुत्री माधू खातेदार है जिन्हे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पक्षकार कायम किये बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे निर्णय व आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से प्रभावित होने से इस न्यायालय मे जेती स्वंय ने अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत कर पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट सं. 10 से 13 को पक्षकार संयोजित किया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो की सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया है। जबकि सहखातेदार जेती व रूकमणी की कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहमति अधीनस्थ न्यायालय मे नही रही है। ऐसी स्थिति मे सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय व आदेश पारित किया गया है। उक्त निर्णय व आदेश विधिसम्मत नही होकर रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होने से अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण विपक्षीगण 1 से 3 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण सं. 296/2019 निर्णय व आदेश दिनांक 03.02.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 10 से 13 सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा कायम किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजसरे नव निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 02.11.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्य प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़